न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 61/10 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2010/00055

उनवान

1. विश्वम्भरदयाल पुत्र प्यारेलाल(मृतक)
   1/1. राजेश पुत्र } स्व0 विश्वम्भदयाल जाति वैश्य नि0 रूदावल तहसील रूपवास
   1/2. श्रीमती किरण पत्नी } जिला भरतपुर।
   1/3. मुन्नी पुत्री स्व0 विश्वम्भरदयाल पत्नी महेन्द्र जैन, जाति वैश्य नि0 जुरहरा तहसील कॉमा जिला भरतपुर।
   1/4. संतोष पुत्री स्व0 विश्वम्भरदयाल पत्नी राकेश, जाति वैश्य नि0 ओल तहसील फरह जिला मथुरा।
   1/5. मधु पुत्री स्व0 विश्वम्भरदयाल पत्नी हितेन्द्र जाति वैश्य नि0 कासगंज रोड कटरा, कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमती वैकुण्टी वेवा
2. विनोद } पुत्रान } वैजनाथ, वैश्य नि0 रूदावल तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
3. राजेन्द्र
4. श्रीमती सीतादेवी पत्नी रोहताश पुत्री बैजनाथ जाति वैश्य नि0 सौंख जिला मथुरा।
5. श्रीमती सुधा देवी पत्नी अशोक } पुत्री बैजनाथ, वैश्य नि0 फतेहपुर सीकरी तह0 किरावली
6. श्रीमती गीता देवी पत्नी ओमप्रकाश } जिला आगरा।
7. नैगीचन्द } पुत्र मिश्रीलाल
8. बाबूलाल }
9. संतोष कुमार पुत्र रमेश
10. हीरालाल }
11. सुखराम } पुत्र चिरंजी
12. राकेश कुमार दत्तक पुत्र रामदयाल

} जाति वैश्य निवासी रूदावल तह0 रूपवास, भरतपुर।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 16.08.2010 प्रकरण संख्या 138/08 उनवान वैजनाथ वनाम नैभीचन्द न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास।

अभिभाषकगण :–

1. श्री दुलीचन्द शर्मा, अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. श्री चन्द्रमोहन गुप्ता अभिभाषक रैस्पो0 उपस्थित ।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

दिनांक :–28.10.2021

निर्णय

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय दिनांक 16.08.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 01 लगायत 06 ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट एवं शेष रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वादपत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 185/2. 09, 187/7.04 कुल किता 02 रकबा 9.13 बीघा वाके ग्राम कंजौली तहसील रूपवास में स्थित है। उक्त आराजी वादी/रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 06 के कब्जे काश्त की आराजी है एवं पारिवारिक बॅटवारे के मुताबिक मनवट आई है एवं उक्त आराजी संयुक्त पारिवारिक आय से खरीद की थी। बॅटवारे के बाद से प्रतिवादी/अपीलाण्ट एवं शेष रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं रहा है एवं ना ही उनका कब्जा काश्त है। परन्तु प्रतिवादी/अपीलाण्ट एवं शेष रैस्पो0 विवादित आराजी पर वादी/रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 06 को शान्ति से काश्त नहीं करने देते एंव दीगर व्यक्तियों को विवादित आराजी को रहन, वय, मुन्तकिल करने की धमकी देते हैं। अतः प्रतिवादीगण के खिलाफ दावा डिक्लेरेशन व स्थायी निषेधाज्ञा लाया जाना आवश्यक हो गया है। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.08.2010 से मुताबिक राजीनामा डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि जब वादीगण विवादित भूमि को संयुक्त परिवार की संपत्ति मानते हैं तथा अपीलाण्ट को परिवार का सदस्य मानते हुये आवश्यक पक्षकार की हैसीयत से पक्षकार मुकदमा बनाया है तो फिर दावा उसके खिलाफ विदड्रा करके उसे दावा से कानूनन नहीं निकाला जा सकता है तथा आवश्यक पक्षकार की गैरहाजिरी में दावा दोषपूर्ण हो जाता है व कानूनन पोषणीय नहीं रहता है। राजीनामा सभी पक्षकारो की ओर से होना चाहिये था। क्योंकि अपीलाण्ट मुकदमे में आवश्यक पक्षकार हैं तथा संयुक्त परिवार का सदस्य होने के कारण विवादित भूमि में उसके वेस्टेड राइट मौजूद हैं अतः उक्त दावे में मात्र कुछ पक्षकारो के राजीनामा होने से डिक्री नहीं किया जा सकता है। राजीनामा भी पूरी तरह से फर्जी है संतोष कुमार के हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 10.08.2010 का उल्लेख है जबकि अग्रिम पेशी दिनांक 12.08.10 लगायी गयी है। राजीनामा पर गवाहो के हस्ताक्षर नहीं है एवं पहचान कैसे हुयी, समय आदि का कोई उल्लेख नहीं हैं। इसके अलावा उनका यह भी कथन है कि विवादित भूमि के खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 व 02 नैमीचन्द व संतोष कुमार पुत्र रमेश चन्द दर्ज थे तथा वादिनी संख्या 1/1 एवं 1/4 लगायत 1/6 खातेदार दर्ज नहीं थे, तो उक्त चारो को वादी संख्या 1/2 व 1/3 के हक में विवादित भूमि की रिलीज डीड कराने का कोई अधिकार नहीं था। अतः संयुक्त परिवार की संपत्ति पर वादी संख्या 1/2 एवं 1/3 तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को भी आपस में राजीनामा करने का कोई

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

कानूनी अधिकार नहीं था। इस प्रकार राजीनामा दावे के तथ्यो को साबित नहीं करता है, बल्कि दावा के तथ्यों से हटकर अन्य आधारो पर राजीनामा लिखा गया है। लिहाजा राजीनामा वॉइड है तथा उसके आधार पर दावा डिक्री नहीं किया जा सकता है। अन्त में अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट तरतीवी पक्षकार थे जिनसे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। असल प्रतिवादी नैमीचन्द व संतोष कुमार थे। राजीनामा बाबत् प्रक्रिया का पालन नहीं किया इस बाबत् अपील मीमो में कोई आपत्ति नहीं की गयी है। अपीलाण्ट को मूल दावे से हटा दिया गया था। जिसके विरूद्ध कोई भी कार्यवाही अपीलाण्ट द्वारा नहीं की गयी है। अतः उन्हें अपील करने का कोई अधिकार हासिल नहीं है एवं ना ही अपील करने हेतु धारा 96 के तहत कोई अनुमति ही ली गयी है। अपीलाधीन डिक्री अपीलाण्ट पर बाध्यकारी नहीं है तो उन्हें अपील में आने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें पृथक से दावा करना चाहिये था। इसके अलावा राजीनामा को सिविल कोर्ट में चुनौती दी जानी चाहिये थी। परन्तु अपीलाण्ट द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने, रैस्पौ0 की बहस पर जवाबी तर्क प्रस्तुत किये कि रैस्पो0 स्वयं दावा में स्वीकार करते हैं कि विवादित आराजी संयुक्त परिवार की है, तो इस कारण से अपीलाण्ट आवश्यक एवं पीडित पक्षकार हुये। अधीनस्थ न्यायालय ने उन्हें बिना किसी आधार के दावा से हटा दिया एवं इस कारण उन्हें सुनवाई का मौका नहीं मिला। अपीलाण्ट धारा 96 के तहत अपील पेश करने की अनुमति लेकर आयी है एवं लगातार सुनवाई की जा रही है अतः अनुमति मानी जावेगी। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जावें।

6. अपीलाण्ट द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र धारा 96 सी0पी0सी0 में अपीलाण्ट का तर्क है कि रैस्पो0 स्वयं अपने दावे में विवादित आराजी को संयुक्त पारिवारिक आय से क्रय किया जाना स्वीकार करते हैं एवं उनके द्वारा अपीलाण्ट को पक्षकार मुकदमा भी बनाया गया। परन्तु बाद में उन्हें गलत प्रक्रिया अपनाते हुये हटा दिया। अतः अपीलाधीन आदेश से उनके हित प्रभावित होते हैं। अतः धारा 96 सी0पी0सी0 के तहत अपील ग्रहण की गई।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में दावा दिनांक 29.07.2008 को दर्ज रजिस्टर होकर अग्रिम पेशी दिनांक 25.09.2008 नियत की गयी है। दिनांक 25.09.2008 को सील लगी हुयी है जो अपठनीय है। परन्तु जितना पढने में आ पाया अग्रिम पेशी दिनांक 05.11.2008 नियत की गयी है एवं दिनांक 05.11.2008 की आदेशिका में अंकित है कि प्रतिवादी संख्या 02 व 03 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की उक्त आदेशिका में यह स्पष्ट नहीं है कि प्रतिवादी को किस प्रकार प्रकरण की सूचना हुयी। उनके सम्मन बाद तामील प्राप्त हुये अथवा नहीं, और यदि सूचना जरिये सम्मन हुयी है तो उन सम्मन को स्वयं प्रतिवादी द्वारा लिया गया है अथवा नहीं। इसके अलावा

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की तीसरी तारीख पेशी पर ही प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाया जाना भी न्यायोचित नहीं है।, हम यह भी पाते हैं कि प्रकरण में पेशी दिनांक 12.08.2010 को राजीनामा पेश हुआ है एवं वादी रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 06 द्वारा प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 07 की हद तक दावा विदड्रा भी किया है। उक्त आदेशिका में संतोष कुमार के हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 10.08. 2010 का उल्लेख है जबकि आदेशिका दिनांक 12.08.2010 को लिखी गयी है उक्त आदेशिका में राजीनामा पर गवाहो के हस्ताक्षर अथवा पहचान कैसे हुयी, समय आदि का का भी कोई उल्लेख नहीं है। इसके अलावा आदेशिका दिनांक 12.08.2010 को लिखी जाकर अग्रिम पेशी भी दिनांक 12.08.10 ही लगायी गयी है एवं पुनः उसी पेशी दिनांक 12.08.2010 को एक बार पुनः आदेशिका लिखी जाकर अग्रिम पेशी दिनांक 16.08.2010 लगायी गयी है। जिससे स्पष्ट जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को राजीनाम की हडबडी में बिना न्यायिक प्रक्रिया पालन किये जल्दबाजी में निर्णित किया है। जहॉ तक रैस्पो0 की यह आपत्ति कि राजीनामा को सिविल कोर्ट में चुनौती दी जानी चाहिये का प्रश्न है। हम पाते हैं कि अपीलाण्ट ने हस्तगत अपील से राजीनामा को चुनौती नहीं दी गयी है। बल्कि उनकी आपत्ति यह हैं कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का मौका नहीं मिला एवं बिना उनकी जानकारी में लायें, दावा उनकी हद तक विदड्रा कर लिया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 द्वारा दावा विवादित आराजी को संयुक्त आय से क्रय किये जाने बाबत् था। उपरोक्त विवेचानुसार हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

8. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवस के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.08.2010 अपास्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में पुनः उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये विधि अनुसार निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

9. निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28-10-2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर